OFFICE OF THE DIRECTOR
RAJASTHAN POLICE ACADEMY
NEHRU NAGAR, JAIPUR-302016 (RAJASTHAN)
PPHONE NO 0141-2303222, 2302131, 2301878(FAX)
E-mail:director.rpa@rajpolice.gov.in/dirrpa@gmail.com

कमांक: 454 दिनांक: 22.08.14

कार्यालय आदेश

(अ) राजस्थान पुलिस अकादमी की वेबसाईट पर ताजा legal update हेतु एक "Legal Update Resource Centre" की स्थापना की जाती है, जो संस्थान में पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा संचालित होगा, जिनकी सहायतार्थ संस्थान में पदस्थापित लोक अभियोजक व सहायक लोक अभियोजक रहेंगे। इनके सहायतार्थ श्री मांगेलाल यादव, उप निरीक्षक होंगे। उक्त केन्द्र द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित होंगे :–

1. अकादमी की वेबसाईट पर गत 5 वर्षों के criminal major & minor acts में हुए समस्त संशोधनों को अपलोड करना जो राज्य में लागू हों।
2. गत 5 वर्षों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस कार्यप्रणाली के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों एवं महत्वपूर्ण rulings को वेबसाईट पर अपलोड करना।
3. उक्त बिन्दु संख्या 1 एवं 2 के सन्दर्भ में भविष्य में होने वाले संशोधनों/दिशा–निर्देशों/rulings को निरंतर वेबसाईट पर अपलोड करना।

(ब) साथ ही एक अन्य "Resource Centre" सहायक निदेशक (सी.ओ.ई.) के नेतृत्व में गठित किया जाता है, जिनकी सहायतार्थ संस्था के लायब्रेरियन रहेंगे। जिनके द्वारा अति. मुख्य सचिव गृह, निदेशक अभियोजन, सचिव विधि एवं न्याय एवं राजस्थान पुलिस की विभिन्न शाखाओं (अपराध, सिविल राईटस्, हयूमन ट्रेफिकिंग, सर्तकता, ए.टी.एस./एस.ओ.जी.) से समय–समय पर जारी परिपत्रों व स्थाई आदेशों को एकत्र किया जाकर संधारण किया जायेगा।

यदि फील्ड में तैनात अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा इस संबंध में कोई शंकाए या प्रश्न किये जाते हैं तो उक्त सैल द्वारा जरिये ई–मेल resourcecentre.rpa@rajpolice.gov.in पर इनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जायेगा।

बिन्दु संख्या अ (1 व 2) की पालना 10 दिन में आवश्यक रूप से कर ली जावे तथा बिन्दु (ब) की पालना एक माह में आवश्यक रूप से कर ली जावे। इसके पश्चात् किसी भी संशोधन/रूलिंग या स्थायी आदेश/सर्कुलर के जारी होने के एक सप्ताह के भीतर आवश्यक रूप से टिप्पणी सहित वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जावे। उप निदेशक, आर.पी.ए. इसकी पालना स्वयं पर्यवेक्षण कर सुनिश्चित करेंगे।

22/8/14

(भगवान लाल सोनी)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं
निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
2. अति. महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ
3. उप निदेशक एवं प्राचार्य, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. सहायक निदेशक (प्रशासन/इण्डोर/आऊटडोर/सीडीपीएसएम/सी.ओ.ई.) राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. संबंधित को पालनार्थ।